बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 7 सत्र- 188वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
वृहस्पतिवार, दिनांक 8.3.2018 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारून रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.10 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से घोटाले में लिप्त पदाधिकारियों के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों के निष्पादन की प्रक्रिया की कंडिका-6 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

कार्यस्थगन के समर्थन में राजद एवं कांग्रेस के माननीय सदस्यगण पोस्टर लहराते हुए सदन वेश्म में आकर नारेबाजी करने लगे। जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान पर बैठी रहीं। कुछ समय पश्चात् माननीय उप सभापति महोदय के अनुरोध पर सभी माननीय सदस्यगण अपने स्थानों पर चले गये।

2. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर उद्गार व्यक्त किया जाना एवं आसन की ओर से बधाई दिया जाना

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर निम्नांकित माननीय सदस्याओं ने अपने उद्गार व्यक्त किए -

1. श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव
2. श्रीमती राबड़ी देवी एवं
3. श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, माननीया मंत्री

इस अवसर पर आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने भी अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं को प्राथमिकता सदन में भी है, घर में भी है, समाज में भी है और जब माननीय मुख्यमंत्री खुद प्राथमिकता दिए हुए हैं, तो क्या कहना है। महिला दिवस पर आपलोगों को बधाई देता हूं।

(मेजें थपथपाकर स्वागत किया गया।)

3. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- अ-20, अ-21, अ-58, 59, 60 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 61 स्थगित हुआ।
प्रश्न संख्या- 62, 63 व्यपगत हुए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- अ-20 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, सदन में आंकड़े रख दें। इसपर माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने सदन पटल पर आंकड़े रखे।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 59 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि सतीश जी, आप बिन्दुवार लिखकर के दे दीजिए, माननीया मंत्री जांच करवा देंगी।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 60 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री ने कहा है कि अगर जानबूझकर उन्होंने गलत तरीके से ह्रास किया होगा तो नियमानुसार कार्रवाई होगी।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- अ-56, अ-57, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 135, 136, 137 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 134 स्थगित हुआ।
प्रश्न संख्या- अ-44, अ-50, 131 व्यपगत हुए।
प्रश्न संख्या- 133, 138, 139, 140, 145 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 141, 142, 143, 144 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- अ-57 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी।

तारांकित प्रश्न संख्या- 127 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्यों ने कहा और यह चिंता का विषय है कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था है तो प्रसारित-प्रचारित भी होनी चाहिए। यह समस्या है और लोग परेशान हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। केदार बाबू जब कोई प्रश्न उठाते हैं तो उसकी गंभीरता को समझा जाए कि कहीं न कहीं गंभीर प्रश्न है। आसन की भावना पर माननीय मंत्री ने कहा कि ठीक है, इसको फिर से दिखवा लेते हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या- 130 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री ने कहा कि इसको दिखवा लेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या- 132 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि ठीक है माननीय सदस्य, लिख करके माननीय मंत्री को दे दें।

तारांकित प्रश्न संख्या– 136 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि जब माननीय मंत्री ने कहा कि जब उसपर जांच हो रही है, जबतक जांच पूरी नहीं होती है, कैसे कुछ कहेंगी।

4. आसन को सूचना एवं आसन का नियमन

माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार ने आसन को सूचित किया कि मोतिहारी के सुगर फैक्ट्री की बैरिया की जमीन संबंधी मामले को उन्होंने 6.3.2018 को सदन में उठाया था जिसको लेकर उनपर मुकदमा कर दिया गया है, इसलिए इसपर सदन की कमिटी बनाकर जांच कराई जाय। माननीय सदस्य, प्रो. संजय कुमार सिंह ने भी इसका समर्थन किया। आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि आप एक आवेदन मुझको दे दीजिए, मैं अपने स्तर से उसको जांच के लिए विभाग को भेजूंगा।

5. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि इसे शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाता है।

6. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री गुलाम रसूल द्वारा अरवल जिलान्तर्गत नगर परिषद् अरवल के वार्ड नं.-4 एवं 5 बासलिपुर मुहल्ले के कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

2. माननीय सदस्य, श्री दिलीप राय द्वारा राज्य के शराब व्यवसायियों के बकाया राशि के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि फिर से लिखकर दे दीजिए न।

3. माननीय सदस्य, श्री सुमन कुमार द्वारा मधुबनी जिला में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की नियुक्ति एवं बुनियादी सुविधा देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से समय लिया गया।

4. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा लखीसराय जिलान्तर्गत सूर्यगढ़ा प्रखंड के पोखरामा ग्राम में दिनांक 04.08.2017 को हुई हत्या से संबंधित कजरा थाना कांड संख्या-50/2017 के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, व्यक्तिगत तौर पर भी इसको देख रहे हैं और उनकी सुरक्षा के संबंध में समीक्षा भी करेंगे।

5. माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव द्वारा राज्य के आहर-पईनों की उड़ाही हेतु अभियान चलाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने वक्तव्य दिया।

(अंतराल)

7. **वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर**
(कृषि, गन्ना उद्योग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन)

विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त् किए -

1. श्री विजय कुमार मिश्र

आसन की सूचना

1. आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन को सूचित करते हुए कहा कि अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि हर प्रखंड में पौधा संरक्षण विभाग के पदाधिकारी हैं, परंतु जनता तक वे जाते नहीं हैं और जनता को मालूम भी नहीं है कि पौधा संरक्षण का भी पदाधिकारी

है। मेरे जैसा आदमी अगर उसको खोजवाता है, तब भी उसको फुर्सत नहीं होती है। अभी आम का समय है लेकिन उसका कोई नोटिस नहीं लिया जाता है, वह एस्केप करता है।

2. आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन को सूचित करते हुए कहा कि सुपौल प्रखंड के डेबाढ़ी चकला गांव में सैकड़ों एकड़ में मक्का की फसल लगाई गई, पर एक भी भुट्टा में दाना नहीं है। वहां के लोग जिला पदाधिकारी के पास प्रतिवेदन देने गये थे। आखिर उन किसानों की क्षतिपूर्ति कैसे होगी। यह बड़ा गंभीर मामला है कि बीज वालों ने मार्केटिंग करके बीज बेच दिया और अब ये परिस्थिति आई है, इस चैलेंज को देखना तो पड़ेगा ही। इसपर माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार इसपर गंभीर है, हमलोगों को भी जानकारी मिली है कि राज्य के उत्तर बिहार के कई जिलों में मक्के की फसल में दाना नहीं आया है। हमने वरीय पदाधिकारी को जांच कराने का आदेश दिया है और एक सप्ताह के अंदर उसकी रिपोर्ट आएगी। निश्चित तौर पर जिन बातों की चर्चा की गई, उनपर कार्रवाई भी की जाएगी और साथ-साथ जो फसलों की क्षति हुई है, उसके लिए सरकार उन फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा देने का भी काम करेगी। इसपर माननीय उप सभापति महोदय ने आसन की ओर से उन्हें धन्यवाद दिया।

2. श्री लाल बाबू प्रसाद
3. श्री आदित्य नारायण पाण्डेय

(इस अवसर पर माननीय अध्यासीन सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने आसन ग्रहण किया।)

4. श्री सुबोध कुमार

(इस अवसर पर माननीय उप सभापति महोदयने आसन ग्रहण किया।)

5. श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव
6. श्री संजय प्रसाद
7. श्री राजेश राम

विभागवार सामान्य वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से माननीय मंत्री, डा. प्रेम कुमार ने अपना वक्तव्य दिया एवं वक्तव्य का शेष लिखित अंश सदन पटल पर रखा।

8. सदन का समय बढ़ाया जाना

माननीय मंत्री के वक्तव्य के बीच ही माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि शेष कार्यों के संपादन होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए, सदन द्वारा इसपर सहमति प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर

(कृषि, गन्ना उद्योग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन)

माननीय उप सभापति महोदय ने माननीय मंत्री, डा. प्रेम कुमार के वक्तव्य के बीच में सूचित किया कि सहरसा जिले में बंदरों से बहुत नुकसान हो रहा है तथा दूसरी ओर किसानों को यह नहीं मालूम है कि हम खाद कितनी मात्रा में अपनी फसल में दें। इसलिए जिस चीज की आवश्यकता नहीं है, उसका भी वे उपयोग करते हैं। हमने राघोपुर से टीम बुलवाकर वर्कशॉप करवाकर ट्रेनिंग

करवाने का काम किया, जिसका अच्छा परिणाम मिला। जो खाद विक्रेता देते हैं, उसी का लोग उपयोग करते हैं।

तत्पश्चात् माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव एवं माननीय मंत्री, श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने अपना लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखा।

9. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री सतीश कुमार
2. श्री शिवप्रसन्न यादव
3. श्री सोनेलाल मेहता

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक शुक्रवार, दिनांक 9.3.2018 को 11.00 पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

8/3/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 400 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 8.3.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
8-3-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।